डीजी परिपत्र संख्या-36/2019

ओ०पी० सिंह,
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।

दिनांकः अगस्त 19, 2019

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-३३/२०१९ दिनांक २९ जुलाई २०१९ के द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है, किन्तु विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है, कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के पंजीकरण में कतिपय जनपदों में अपेक्षित संवदेनशीलता एवं त्वरापूर्ण कार्यवाही नही हो रही है, यह स्थिति अनपेक्षित एवं अग्राह्य है।

उक्त के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहें हैः-

1. <u>महिला सम्बन्धी अपराधों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करनाः</u>- महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध का अविलम्ब पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये एवं अभियोग पंजीकृत नही होने की दशा में सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध केवल विभागीय कार्यवाही न की जाये वरन् उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाये।
2. <u>थानों पर महिला अपराधों के पंजीकरण हेतु दृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड लगाया जानाः</u>-प्रदेश के समस्त थानों पर इस आशय का नोटिस बोर्ड लगाया जाये, जिसमें यह अंकित हो कि थाने पर महिला अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम न होने की दशा में पीड़िता एवं उसके परिजन जनपद के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करेंगे। यदि पुलिस अधीक्षक के स्तर से भी तद्विषयक अपराध का पंजीकरण नही कराया जाता है,तो पीड़िता एवं उसके परिजन परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक से सम्पर्क कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत करायेंगे। इस नोटिस बोर्ड पर जनपद के पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक का सीयूजी नम्बर भी प्रदर्शित किया जाये तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक का यह दारित्व होगा कि वे तत्काल सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत करायें एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्गत संगत निर्देशों के अतिरिक्त उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर कड़ाई से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई भी लापरवाही अक्षम्य एवं अग्राह्य होगी।

भवदीय,

(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद-उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः-

१. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner